

# जमू कश्मीर में चार कर्मचारी बखास्त

## केंद्र शासित प्रदेश में आतंकियों से संबंधों के आरोप में की गई कार्रवाई

जनसत्ता ब्लॉग  
ईडिली, 22 नवंबर।

जमू एवं कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोप में एक किटकतक और एक पुलिसकर्मी सहित चार सरकारी कर्मचारियों को बुधवार को बखास्त कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि श्रीनगर के एसएमएस अस्पताल

में सहायक प्रोफेसर (चिकित्सा) निसार-उल-हसन,

कांटेवल अब्दुल मजीद भट, उच्च शिक्षा विभाग में

नियोगी सलाला कर्मी अब्दुल सलाम राठेर और शिक्षा विभाग में

संशिक्षक फारस्ख अहमद मीर को भारत के संविधान के

अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत बखास्त कर दिया

गया। पिछले तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन

ने संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए 30 से अधिक कर्मचारियों को बखास्त किया है।

ये तांत्रिक तौर पर प्राक्षिप्ति आतंकवादी

संगठनों की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की

विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, धन जुटा रहे थे और

अलगाववादी एजडे को आगे बढ़ा रहे थे। साथान्य

प्रशासन विभाग ने अलग लेकिन समान बखास्ती के

आरोप में कहा कि उपराज्यपाल वर्षों पर विचार के बाद

की गई कार्रवाई से बहुत था। और उसे 'मीम पर से स्टैण्ड इन्डेश' था। हसन ने एक कट्टर

अलगाववादी के अनुसार चारों कर्मचारियों की

गतिविधियां ऐसी हैं कि उन्हें सेवा से बखास्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के

प्रावधान के उपर-खंड (सी) के तहत उपराज्यपाल संतुष्ट

हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में मालिने में जांच करना आवश्यक नहीं है। ये बखास्ती आतंकवादी

परिस्थितिकी तरंग और उनके अहम साझेदारों पर चल रही

कड़ाई का हिस्सा है, जिन्हें अतीत में अलग-अलग

परिस्थितिकी तरंग के भीतर आपनी संबद्धता एवं भ्रातृ

कार्यकारी होने के बावजूद नियुक्त किया गया था। मीर

जेल में रहने के दौरान उपरोक्त विभाग

अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मीर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा का निवासी है जिसे

संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के तहत

श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हो गया।

आरोप पत्र में खुलासा : निलंबित शिक्षक को जेल में कैद के दौरान भी वेतन मिला

जमू, 22 नवंबर (भाषा)।

जमू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सेवा से निलंबित किए गए चार सरकारी कर्मचारियों में से एक फारुक अहमद मीर के खिलाफ बुधवार को दाखिल आरोप पत्र से सामने आया कि उस प्रतिवधित हिजबुल मुजाहिदीन 1991 में गिरफ्तार होने से पहले वह हिजबुल मुजाहिदीन अंतर्राष्ट्रीय संघठन का शीर्ष मान्यमान था। मीर को दो वर्ष तक हिरासत में रखने के बाद वर्ष 1993 में रिहा कर दिया गया। मीर

ने रिहाई के तुरंत बाद अलगाववादी-आतंकवादी परिस्थितिकी तंत्र के भीतर आपनी संबद्धता एवं भ्रातृ

कार्यकारी होने के बावजूद नियुक्त किया गया था।

पिछले तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन

ने संविधान की धारा 311 (2) (सी) का इस्तेमाल करते हुए 30 से अधिक कर्मचारियों को बखास्त किया है।

ये तांत्रिक तौर पर प्राक्षिप्ति आतंकवादी

संगठनों की मदद कर रहे थे, आतंकवादियों की

विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, धन जुटा रहे थे और

अलगाववादी एजडे को आगे बढ़ा रहे थे। साथान्य

प्रशासन विभाग ने अलग लेकिन समान बखास्ती के

आरोप में कहा कि उपराज्यपाल वर्षों पर विचार के बाद

की गई कार्रवाई से बहुत थी। आदेश में कहा गया कि उपराज्यपाल इसे बहुत था।

उपराज्यपाल इसे बहुत बहुत था। वह एक 'संभावित टाइम-बम' है

जिसका भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय असंदेश के

खिलाफ व्यापक हिस्सा और पैदा करने के लिए

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों पर चल रही

कड़ाई का हिस्सा है, जिन्हें अतीत में अलग-अलग

प्रशासन विभाग के बावजूद नियुक्त किया गया था।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों पर सकते हैं।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान और उनके अहम साझेदारों के बावजूद नियुक्त किया गया है।